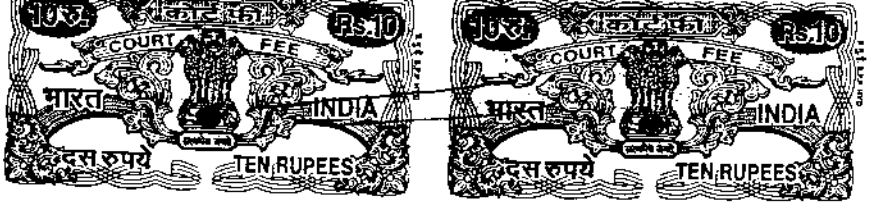

कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड म.प्र. ग्वालियर के समक्ष,

===========

R - 2818 - II/13

निगरानी प्र० क्र०   /2013

[illegible] अभिभाषक [illegible] 11.7.13 को प्रस्तुत

11.7.13

17.7.13

सुनिल पिता कल्याण,
उम्र 40 साल, धंधा खेती,
निवासी ग्राम मानपुर तह० महू जिला इंदौर ..प्रार्थी

विरुद्ध

1. भवानीसिंह पिता तुलाराम,
उम्र 60 साल, धंधा खेती,
निवासी मानपुर तह० महू,

2. शंकरलाल पिता नाथूसिंग,
उम्र 55 साल, धंधा खेती,
निवासी राजमोहल्ला, इंदौर ..प्रतिप्रार्थीगण,

।। निगरानी धारा 50 म० प्र० भू० रा० सं० के अंतर्गत ।।

==

प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि :-

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी याचिका श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, महू (डॉ० अम्बेडकरनगर), जिला इंदौर (श्री अभिषेकजी शर्मा) द्वारा रा० प्र० क्र० 14/अ-6/2012-13 (भवानीसिंह × शंकरलाल) में दि० 18.6.2013 को रिविजनगत आदेश पारित करते हुए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए निरस्त करते हुए प्रकरण को अंतिम बहस पर नियत करते हुए दिए गए आदेश से असंतुष्ट होकर निम्नांकित व अन्य अनेकानेक आधारों पर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत करता है कि :-

सुनिल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2818–II / 2013 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–5–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–6–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित होने के बावजूद अनावेदकगण द्वारा भूमि कय की गई है, अतः नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । इस संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक की ओर से आपत्ति के समर्थन में कोई दस्तावेज अथवा सक्षम आदेश या स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है । आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकता है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	